भारत में विकास के लिए वित्त पोषण – सामाजिक संस्थाओ का नजरिया

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

भारत में विकास के लिए वित्त पोषण – सामाजिक संस्थाओ का नजरिया

लेखकः वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

कॉपीराइट © वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक विषय वास्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रकाश का आभार प्रकट करते हुए, पुनः प्रकाशित किया जा सकता है ।

@TeamVANI

@vani_info

प्रकाशकः
वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हॉउस, 7, पी. एस. पी. पॉकेट, सेक्टर 8,
द्वारका, नयी दिल्ली
फोन : 011–40391661, 40391663
ईमेल : **info@vaniindia-org**
वेबसाइट : **www-vaniindia-org**

मुद्रकः

प्रिंट वर्ल्ड
ईमेलः **printworld96@gmail-com**

भारत में विकास के लिए वित्त पोषण – सामाजिक संस्थाओ का नजरिया

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

VANI
Celebrating 50 years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

विषयसूची

राश्ट्रीय सरकारों को वित्तपोशण की आवष्यकताओं के लिए उत्तरदायी बनाना.....5

मिश्रित वित्त.....5

वित्तपोशण के वैष्विक संदर्भ में जांच करना.....6

भारत का विकास परिदृष्य.....7

भारत के सामाजिक–आर्थिक परिदृष्य पर कोविड–19 का प्रभाव.....8

कोविड–19 के पष्चात विकास परिदृष्य को देखते हुए.....9

भारत में विकास के परिदृष्य की समीक्षा.....10

भारत के विकास कार्यक्रम का दायरा.....11

भारत में वित्त पोशण विकास.....13

भारत में विकास वित्तीय संस्थानों की जाँच करना.....14

भारत में विकास वित्त संस्थान.....15

भारत के विकास कार्यक्रम का दायरा.....

भारत में वित्त पोशण विकास.....

भारत में विकास वित्तीय संस्थानों की जाँच करना.....

सामाजिक संस्थानों के सुझाव.....19

कार्यकारी सारांश

विकास के लिए वित्तपोषण देष के विकास के एजेंडा का सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब से वित्त पोषण के लिए अदीस अबाबा कार्यक्रम को अपनाया गया है, तब से वैष्विक बहुपक्षीय लोगों द्वारा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए मुख्य प्रवर्तक के रूप में वित्तपोषण पर जोर देने के लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं। इस जनादेष से प्रेरणा लेते हुए, राष्ट्रीय सरकारें अपने वित्तपोषण पोर्टफोलियो (निवेष सूची) को बढ़ाने और नीतिगत उपायों का अन्वेषण करने के लिए प्रयास करती आ रही हैं जो उनकी विकासात्मक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रे. रित करते हैं। भारत ने अपने विशिष्ट विकास उद्देष्यों के लिए वित्तीय सहायता के अन्वेषण के लिए इस समय अवधि का उपयोग करने की मांग की है। हालांकि, संरचनात्मक वास्तविकताएं वित्तीय संसाधनों को आवश्यक रूप से प्रभावी बनाने की अनुमति नहीं देती हैं। इसी कारण, जमीनी स्तर पर विकास उप–समतल स्तर पर बना हुआ है और यथास्थिति उनके नापाक रचनाओं का पोषण करना जारी रखता है जो प्रगति और विकास की सभी संभावनाओं में बाधा डालते हैं। सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर में गिरावट का एक भयावह प्रभाव होता है, जिसमें सार्थक और गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने की दिषा में किए गए व्यवधानों के सभी वर्तमान रूपों को अस्त–व्यस्त करने की बड़ी क्षमता होती है। जैसे, गुणात्मक और समग्र परिवर्तन करने के लिए वित्तपोषण विकास एक महत्वपूर्ण पहलू बनाता है, जो प्रभावी परिणाम प्रदान करता है। कोविड–19 के कारण भारत में विकास की दिषा में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सकारात्मक आर्थिक सुधार करने की दिषा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड–19 के पष्चात, उन लाखों लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करने होंगे जो गरीबी और मुसीबत में फंस गए थे। इसके लिए, भारत सरकार को अपनी वित्तपोषण क्षमता का विस्तार करने और लोगों को सशक्त बनाने वाले बजटीय आवंटन और वित्तीय सहायता आधार को बढ़ाने की आवष्यकता है। इस प्रकार, बहुपक्षीय रूपरेखाओं को पुनर्जीवित करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने और नीतिगत कार्यों में एक समावेषी दृष्टिकोण अपनाने की आवष्यकता होगी। इसके लिए सामाजिक संस्थाओ को निर्णायक संस्थानों तक उनके सुझावों और सूचनाओं के साथ नीतिगत मंचों द्वारा प्रभावी रूप से सहयोग करने की आवशयकता है। विशव स्तर पर, सामाजिक संस्थाएँ लगातार ओईसीडी, विष्व बैंक / आईएमएफ, जी 20 आदि संस्थानों द्वारा दर्ज किए जा रहे अपने सुझावों के साथ वित्त पोषण पर बहस और मंचों में भाग ले रहा है, लेकिन इस तरह की भागीदारी वास्तव में राष्ट्रीय संदर्भ से अनुपस्थित है। इसलिए, यह शोध पत्र देश भर के स्वयं सेवी संस्थाओं को विकास के लिए वित्त पोषण की अवधारणा को पेष करने की कोशिष करता है जो अपने साधनों और उपायों में विकास के प्रयासों में अथक रूप से शामिल हैं। भारतीय सामाजिक संस्थानों को इन अवधारणाओं की जानकारी होना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों और तंत्रों के अनुसार कार्य करे, जो विकास के लिए वित्तपोषण प्रदान करते हैं। इस प्रकार, यह अध्ययन रिपोर्ट इस विषयगत क्षेत्र में शामिल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर–तरीकों के परिव्यय के साथ विकास के वित्तपोषण के पीछे के वैचारिक आधार को प्रकट करना चाहता है।

विकास के लिए वित्तपोषण का परिचय (एफएफडी)

यूनाइटेड नेषन के अनुसार– विकास के लिए वित्तपोषण वित्त आधारित तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनरू 2002 में मेक्सिको मॉन्टेरी, 2008 में कतर दोहा और 2015 में अदिस अबाबा इथियोपिया के दौरान किए गए समझौतों और प्रतिबद्धताओं का पालन करने पर केंद्रित है। विकास के लिए वित्तपोषण के आधारित विचार–विमर्ष प्रक्रिया का निर्माण होता है और एजेंडा 2030 तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सम्मेलन को शामिल किया जाता है। हाल ही में आयोजित एडिस एजेंडा दीर्घकालीन विकास के वित्तपोषण के लिए एक नया वैष्विक ढांचा बनाने का प्रयास करता है, जो एजेंडा 2030 के परिणामों को प्राप्त करने और दीर्घकालीन विकास उद्देष्य के लिए वित्तपोषण पर केंद्रित है। एजेंडा सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन प्रवाह, नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को जांचना और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण प्राथमिकताओं में समन्वय का निर्माण करना चाहता है। यह सभी सतत विकास उद्देष्य कार्यान्वित लक्ष्यों को एक व्यापक वित्तपोषण ढांचे में शामिल करने की कोषिष करता है और सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, व्यवसाय क्षेत्रो, सामाजिक संस्थानों और परोपकारी लोगों के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

अदिस एजेंडा के विशिष्ट कार्य क्षेत्र हैंः

- घरेलू सार्वजनिक संसाधनय
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निजी व्यापार और वित्तय
- अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोगय
- विकास के लिए एक इंजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारय
- ऋण और ऋण स्थिरताय
- प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करनाय
- विज्ञान, तकनीक, नए विचार और क्षमता निर्माण

विकास के लिए वित्त पोषण का दृष्टिकोण

सतत विकास कार्यालय (एफएसडीओ) विकास के वित्तपोषण के लिए एकीकृत, आर पार (क्रॉस–कटिंग) और समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए स्थापित किया गया था। अदीस एजेंडा ने विकास के लिए वित्त पोषण पर एक वार्षिक ईसीओएसओसी फोरम (एफएफडी मंच), एक परस्पर सरकारी प्रक्रिया जिसमें समावेषी भांगीदारी के साथ विकास के परिणामों और 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के साधनों की समीक्षा और समावेषी भागीदारी शामिल है, की स्थापना की। एफएफडी मंच के परस्पर सरकारी रूप से सहमत निष्कर्ष और सुझाव सतत विकासपर उच्च–स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) में दर्ज होते हैं।

अदिस एजेंडा ने महासचिव को एक जनादेश के साथ विकास के लिए वित्त पोषण पर परस्पर संस्था कार्य बल बुलाने के लिए कहाः

- सतत विकास पर एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन के साधनों और अदिस एजेंडा और विकास के लिए अन्य वित्त पोषण को लागू करने में प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए।

- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आयामों को ध्यान में रखते हुए परस्पर सरकारी अनुवर्ती प्रक्रिया प्रगति पर कार्यान्वयन, अंतर और सुधारात्मक कार्यो के लिए सुझाव ।

- विकास अनुवर्ती वित्तपोषण के लिए कार्य बल (टास्क फोर्स) की वार्षिक रिपोर्ट ईसीओएसओसी मंच के लिए महत्वपूर्ण सूचना (इनपुट) है और उच्च–स्तरीय राजनीतिक मंच के विचार–विमर्ष का समर्थन करती है।

वित्तपोषण विकास के लिए अदिस अबाबा घोषणा

यह घोषणा सदस्य राज्यों को बहुपक्षीय लक्ष्य के साथ विकास की पहल के लिए वित्तपोषण बढ़ाने के लिए हल प्रदान करता है –

- गरीबी और भूख को खत्म करने, समावेषी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक समावेश को बढ़ाने के माध्यम से इसे तीन आयामों में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए।

- विकास के अधिकार सहित सभी मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्धता । लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण को सुनिष्चित करना।

- शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और समान वैश्विक आर्थिक प्रणाली की दिषा में आगे बढ़ना जिसमें कोई भी देश या व्यक्ति पीछे न रह जाये, हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह संरक्षण करते हुए सभी के लिए अच्छी और उत्पादक आजीविका को सक्षम बनाना।

राष्ट्रीय सरकारों को वित्तपोषण की आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी बनाना

अदीस अबाबा घोषणा एकीकृत राष्ट्रीय वित्त पोषण ढांचे द्वारा समर्थित एकजुट राष्ट्रीय स्वामित्व वाली सतत विकास रणनीतियों के निर्माण में सरकारों के लिए इसे आवष्यक बनाती है। यह आवष्यक है कि प्रत्येक दश की आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति जिम्मेदारी प्राथमिक हो और राष्ट्रीय नीतियों और विकास रणनीतियों की भूमिका को अधि ाक महत्व नहीं दिया जाये । साथ ही, राष्ट्रीय विकास के प्रयासों को सुसंगत और पारस्परिक रूप से समर्थन करने वाले विश्व व्यापार, मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों सहित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण को सक्षम करने, और वैश्विक आर्थिक प्रशासन को मजबूत करने और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

मिश्रित वित्त

अदिस एजेंडा मिश्रित वित्तपोषण की भूमिका की पहचान करता है जिसमे सार्वजनिक–निजी भागीदारी सहित सतत विकास में वित्तपोषण भूमिका निभाता है, साथ ही सही ढंग से और प्रभावकारी तरीके से मिश्रित वित्तपोषण के उपयोग के महत्व को स्वीकार करता है। किसी परियोजना के जोखिम या लागत को निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित करके, मिश्रित वित्त निजी लेनदारों या निवेषकों के लिए जोखिम–रिटर्न रूपरेखा बढ़ा सकता है। रियायती और गैर–रियायती सार्वजनिक वित्त इस प्रकार सतत विकास उद्देष्य निवेषों के लिए वाणिज्य वित्त में श संग्रहष करने में मदद कर सकते हैं जो अन्यथा भौतिक नहीं होते। मिश्रित वित्त संभावित रूप से प्रदर्षन प्रभाव पैदा कर सकता है जो वाणिज्य प्रतिकृति को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे स्थानीय वित्तीय बाजारों के विकास में सहयोग होता है। जब ओडीए का उपयोग मिश्रित वित्त के लिए किया जाता है, तो देष के स्वामित्व सहित विकास प्रभावषीलता के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

वित्तपोषण के वैश्विक संदर्भ की जांच करना

श्सतत विकास रिपोर्ट, 2020 के लिए वित्त पोषणष् पर परस्पर संस्था कार्य बल समूह की रिपोर्ट – अदीस अबाबा कार्यकारी एजेंडा को अपनाने के बाद से वित्तीय परिदृष्य नाटकीय रूप से बदल गया है। डिजिटल तकनीक ने वित्तीय प्रणालियों के प्रमुख पहलुओं को बदल दिया है। वित्तीय निवेष पर जलवायु और अन्य गैर–आर्थिक जोखिमों के प्रभाव के बारे में अधिक जागरूकता के कारण, आंषिक निवेष में तेजी से रुचि बढ़ रही है। कोविड–19 से जुड़े आर्थिक और वित्तीय झटके– जैसे कि औद्योगिक उत्पादन में बाधाएं, वस्तुओं की कीमतें गिरना, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और बढ़ती असुरक्षा– पहले से ही आर्थिक विकास को पटरी से उतार रहे हैं और अन्य कारकों से जोखिम को बढ़ा रहे हैं। इनमें बहुपक्षवाद से पीछे हटना, वैष्वीकरण का असंतोष और अविष्वास, ऋण संकट का जोखिम बढ़ जाना, लगातार और गंभीर जलवायु शामिल हैं। एक साथ ये स्थायी वित्त को और अधिक कठिन बनाते हैं – और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (सतत विकास उद्देष्य) को प्राप्त करने की क्षमता को कम कर देते हैं। इन अस्थिर रुझानों के बीच, परस्पर संस्था कार्य बल की सतत विकास के लिए वित्तपोषण 2020 की रिपोर्ट से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय आ. र्थिक और वित्तीय प्रणाली न केवल सतत विकास उद्देष्य वितरित करने में विफल रही है, बल्कि महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से पिछड़ रही है। सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों को इन प्रवृत्तियों को समझने और प्रक्षेपवक्र को बदलने के लिए अब कार्रवाई करनी चाहिए।

दुनिया भर में कोविड–19 के विकराल रूप लेने के साथ, एक सार्वभौमिक 'आर्थिक पिछड़ेपन' की प्रत्यक्ष प्रवृति रही है, जिसने देषों के विकास के एजेंडे को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। विष्व बैंक के ''वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण'' के अनुसार

महामारी के तत्काल एवं निकटतम प्रभाव और दीर्घकालीन क्षति से विकास के अवसरों पर पड़ते प्रभाव से निपटना होगा । बाजार में विनिमय दर अनुसार – दषकों में सबसे गहरी वैश्विक मंदी, सरकार के वित्तीय और मौद्रिक नीति सहयोग के साथ मंदी का मुकाबला करने के असाधारण प्रयासों के बावजूद आधारभूत पूर्वानुमान 2020 में वैश्विक जीडीपी में 5.2 प्रतिशत की सिकुड़न को दर्शाता है। लंबे समय में, महामारी से उत्पन्न होने वाली गहरी मंदी के कारण निवेश में कमी, नौकरियों में कमी और स्कूली शिक्षा में कमी के माध्यम से मानव पूंजी में कटौती, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति संबंधों के विखंडन से अर्थव्यवस्था पर स्थायी घाव छोड़ने की उम्मीद है।
KPMG के अनुसार, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण जल्द ही ठीक नहीं होगा और हाल के परिदृश्य पुनःप्राप्ति के लिए एक धूमिल चित्र दर्शाते हैं–

- कोविड–19 स्वास्थ्य संकट के परिणामस्वरूप, आपूर्ति और सकल मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक अवरोधों के बाद, विश्व जीडीपी के 2020 की पहली छमाही के दौरान तेजी से गिरने की उम्मीद है क्योंकि केपीएमजी केंद्रीय और नकारात्मक परिदृश्य दिसंबर तिमाही 2019 और जून तिमाही 2020 के बीच क्रमषः 11 : और 12ः की वास्तविक गिरावट दर्शा रहा है।

- इस विष्लेषण में बनाए गए पुनर्प्राप्ति पथ से पता चलता है कि विष्व जीडीपी के दिसंबर 2019 के स्तर पर लौटने की उम्मीद नहीं है जब तक कि केंद्रीय परिदृष्य के अनुसार 2021 तिमाही 2 के अंत तक और नकारात्मक परिदृष्य के अनुसार 2021 तिमाही 3 के अंत तक नहीं होगा।

- विभिन्न देषों और प्रदेषों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें पुनः अपने पैरों पर खड़े होंने के लिए विभिन्न मार्गों का अनुभव करना होगा, प्रत्येक स्थान के लिए मार्ग का आकार कोविड–19 के फैलाव और प्रत्येक देष की अंतर्निहित सामाजिक–आर्थिक विषेषताओं के प्रबंधन और उनके अनुभव के अनुसार परस्पर क्रिया से प्रभावित होगा ।

- विश्लेषण से पता चलता है कि व्यापारिक देषों को उस परिदृष्य से उबरने के लिए आनुपातिक रूप से अधिक समय लग सकता है जहां कम व्यापार उजागर राज्यों की तुलना में कोविड 19 महामारी लंबी बनी रहती है। महामारी जितनी अधिक समय तक जारी रहेगी, विश्व व्यापार के लिए यह उतना ही हानिकारक होता जाएगा।

परस्पर संस्थागत कार्य बल समूह की रिपोर्ट ''सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट, 2020 में निम्नलिखित प्रवृत्तियों की रूपरेखा विकास के परिदृश्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी:''

- आर्थिक विकास को धीमा करनारू 2020 में वैश्विक वृद्धि के कम होने की उम्मीद है, 2019 में दषक के कम वृद्धि दर के 2.3 प्रतिशत होने से वैष्विक मंदी के उच्च खतरे की संभावना है ।

- सहायता में गिरावटरू 2018 में आधिकारिक विकास सहायता 4.3 प्रतिषत गिरी और कम विकसित देषों में 2.1 प्रतिषत गिरी।

- बढ़ते वित्तीय जोखिमरू कोविड–19 के कारण अल्पकालिक वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे पहले, कम ब्याज दरों की विस्तारित अवधि ने पूरे वित्तीय प्रणाली में जोखिम व्यवहार को प्रोत्साहित किया था। वित्तीय मध्यस्थत गैर– बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों (जो वैष्विक वित्तीय परिसंपत्तियों का 30 प्रतिषत से अधिक है) में परिवर्तित हो गए हैं।

- उच्च ऋण जोखिमरू सबसे कमजोर देषों में ऋण जोखिम में और वृद्धि होने की संभावना है। कम विकसित और अन्य कम आय वाले विकासषील देषों में से चालीस प्रतिषत वर्तमान में उच्च जोखिम या ऋण संकट में हैं। पांच वर्षों के भीतर ऋण जोखिम दोगुना हो सकता है (2015 में यह 22 प्रतिषत था) यह संख्या कोविड–19 में बढ़ सकती है और संबंधित वैष्विक आर्थिक और वस्तुओं की कीमतें कुछ देषों उम, विषेषकर तेल निर्यातकों पर दबाव बढ़ा सकती हैं।

- व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धिरू पर्याप्त नए व्यापार प्रतिबंध पेष किए गए हैंरू आयात–प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार दायरा दो साल पहले की तुलना में लगभग 10 गुना बड़ा है। विष्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था में व्यापार विवादों का संचालन करने के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं हैं। कोविड–19 संकट इन प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करता है और वस्तुओं और सेवा व्यापार को बाधित करता है। यह संकट वैष्विक मूल्य श्रृंखलाओं को भी बाधित करता है, जिससे माल के निर्यात में न्यूनतम 50 अरब डॉलर की गिरावट आने की उम्मीद है।

- बढ़ते पर्यावरण झटकेरू ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, जिससे सतत विकास को खतरा है। 2014–2018 के बीच, दुनिया भर में मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाओं की अनुमानित संख्या पिछले पांच वर्षों की तुलना में 30 प्रतिषत से अधिक बढ़ गई। इस माहौल में, कई देष – और विषेष रूप से कम विकसित देष, छोटे द्वीप, विकासषील राज्य और अन्य कमजोर देष – 2030 तक सतत विकास उद्देष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।

भारत का विकास परिदृश्य

भारत ने पिछले दषक में 7 प्रतिशत जीडीपी बरकरार रखा है जबकि पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी विकास दर में काफी गिरावट देखी गई है। विकास प्रतिमान 2017–18 में 7.0 प्रतिशत से परिवर्तित होकर 2018–19 में 6.1 प्रतिशत हो गया और 2019–20 में हाल के अनुमानों के परिवर्तित होकर 4.2 प्रतिशत विकास दर के करीब पहुंच गया। मांग में निवेष, निर्यात, और निजी खपतय और निर्माण तथा उत्पादन पक्ष पर विभिन्न सेवा गतिविधियों के लिए असंतोषजनक मंदी देखी गई । प्रमुख सूचना बाजारों में लंबे समय तक संरचनात्मक जटिलता के कारण विकास में गिरावट देखी गई, और बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में बैलेंस शीट के तनाव को जारी रखा गया, जो कि हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के गैर–बैंकिंग क्षेत्र में अधिक तनाव के साथ समाप्त हो गए। बैंकों और कॉरपोरेट्स के बीच जोखिम में वृद्धि के कारण

वैष्विक अर्थव्यवस्था में कमी आई । कोविड–19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दो चरणों में आया है। प्रारंभ में, कोविड–19 के मुख्य आर्थिक प्रभाव चीन से आपूर्ति में व्यवधान, और पर्यटन, विमानन और अन्य सेवाओं जैसी गतिविधियों में केंद्रित था । इसके बाद, जैसा कि दुनिया भर में वायरस फैल गया है, आर्थिक दृष्टिकोण को और बिगाड़ने वाले निवेषक भावनाओं को दरकिनार करते हुए, इसने विकास, निवेष, निर्यात और प्रेषण को प्रभावित किया। भारत ने कोविड–19 महामारी के प्रसार पर अंकुष लगाने के लिए कड़े लॉकडाउन और सामाजिक दूरी करने के उपायों को लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में अभी भी आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020–21 के लिए भारत के विकास का अनुमान घटाकर 1.9ः कर दिया है, जो इस साल जनवरी में अपने 5.8ः के अनुमान से कम है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक और निम्न आय वर्ग के सदस्य इससे विषेष रूप से आहात हुए हैं,क्योंकि उनकी मजदूरी लुप्त हो गयी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि भारत में 400 मिलियन लोगों के गरीबी में डूबने का खतरा है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, भारत में अप्रैल 2020 में 12 0 सीी से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, उनमें से बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारी थे और मजदूर थे। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा 4,000 श्रमिकों पर किए गए फोन सर्वेक्षण के अनुसार, किसानों की कमाई में भारी गिरावट के साथ लगभग 80ः शहरी श्रमिकों ने नौकरियों को खो दिया जो कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में स्वयं कार्यरत थे।

भारत के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य पर कोविड–19 का प्रभाव

राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की तत्काल प्रतिक्रिया भारतीय शहरों में रह राजे लाखों प्रवासी श्रमिकों की उनके ग्रामीण आवासों की ओर रुख करने के रूप में सामने आई । इन श्रमिकों के लिए, जो दैनिक वेतन पर जीवित रहते हैं और भारत के बड़े अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, आर्थिक गतिविधियों के बंद होने का मतलब है कि उनके पास अपने काम के स्थानों में आजीविका का कोई साधन नहीं था, और न ही परिवार का सहयोग था, जो कि आय के किसी भी स्रोत के बिना एक लंबी अवधि के लिए जीवित रहने के लिए आवष्यक था। इन श्रमिकों के अपने गाँवों में वापस लौटने के प्रयास के साथ, ग्रामीण भारत में सामुदायिक प्रसार का काफी जोखिम था, अगर इनमें से कुछ कोरोना वायरस से ग्रसित होते । राष्ट्रीय लॉकडाउन की अप्रत्याषित घोषणा और भारत में राष्ट्रीय सरकार द्वारा तैयारी की कमी के कारण प्रवासी श्रमिकों का सामूहिक पलायन एक अराजक घटना बन गयी। कोविड–19 महामारी से जुड़े वैष्विक आर्थिक सिकुड़न के साथ लॉकडाउन नीतियों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों और कमजोर लोगों को प्रभावित किया । ग्रामीण क्षेत्र में, सर्दियों में बोई गई फसलों के लिए फसल की कीमतें गिरने से कृषि क्षेत्र में कार्यरत बड़े किसान वर्ग के लिए बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

भारत सरकार ने 26 मार्च 2020 को गरीबों की सहायता के लिए लगभग 23 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें 830 लाख परिवारों को अनाज और दालें, मुफ्त गैस कुकिंग सिलेंडर और लगभग 2000 लाख महिलाओं को एक महीने में 6.65 अमेरिकी डॉलर का नकद हस्तांतरण प्रदान किया गया। यह कहा जा सकता है कि संसाधनों और प्रषासनिक मषीनरी का एक मुष्त बड़े पैमाने पर जमावड़ा था जो खाद्य, रसोई गैस सिलेंडरों को आवंटित करने के लिए आवष्यक था, और गरीबों को नकद हस्तांतरण भारतीय राज्य की क्षमताओं के भीतर किया गया । इस मामले में, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के लिए यह आवष्यक था कि वे कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ाएँ और सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रमों की ओर बढ़ें, क्योंकि लक्षित योजनाएँ वर्तमान परिवेष में इष्टतम नहीं हो सकती है, जहाँ बहुसंख्यक आबादी भारी कठिनाई का सामना कर रही है ।

कोविड के पश्चात विकास परिदृश्य को देखते हुए

कोविड–19 के बाद दुनिया उत्पादन, उपभोग और कार्य शैली में संरचनात्मक बदलावों के साथ काफी भिन्न दिखाई देगी। जैसा कि भारत इस संकट से उभर रहा है, अर्थव्यवस्था के अंषांकित पुनर्निर्माण की दिषा में नीति ढांचा फिर से उन्मुख करना और अनिष्चित दुनिया को लचीला बनाना और पुनः स्थापित करना जटिल होगा । हालांकि, भारत सरकार को लगता है कि कुछ नीतिगत साधन हैं जिनका उपयोग एक अंषकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड–19 से उबरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया जा सकता है।

भारत की कृषि में लचीलापन बढ़ाना, कुशल और टिकाऊ कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना

कृषि वर्तमान परिदृष्य में उम्मीद की किरण के रूप में उभरी है। कृषि आय में लगातार वृद्धि के लिए कुषल और स्थायी कृषि आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए नीतिगत प्राथमिकता को पहले से अधिक प्रबलित किया गया है। कृषि क्षेत्र के प्रसार और उदारीकरण को बढ़ावा देने की दिषा में इस तरह एक गतिषील परिवर्तन पहले से ही सरकार द्वारा इस दिषा में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा के साथ चल रहा है।

कारक बाजार में संरचनात्मक सुधारों को गहरा करना और विनिर्माण के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना

विष्व व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन भी विनिर्माण क्षेत्र की दक्षता बनाम लचीलापन पर पारंपरिक धारणाओं को फिर से संगठित करने के लिए आमंत्रित करता है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी को दूर करने और जोखिम को बढ़ावा देने के लिए भूमि, कानूनी, श्रम और पूंजी बाजारों में गहराई से व्याप्त और व्यापक संरचनात्मक सुधार इस संबंध में उचित हैं। यह कारक बाजार मौजूदा सरकारी पहलों पर तेजी से नजर रखता है। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र का संचालन करने के लिए नेषनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के रूप में लक्षित उच्च बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर दिया है।

एक लचीले और नए सेवा क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए आईसीटी और स्टार्टअप्स का लाभ उठाना

कोविड–19 के कारण व्यापार के बंद होने और सामान्य स्तर से काफी नीचे की ओर धकेले जाने के कारण, सेवा क्षेत्र को दुनिया भर में सेवाओं की मांग में गिरावट के साथ सबसे ज्यादा आघात पहुंचा है। सेवा क्षेत्र राष्ट्र में सबसे बड़ा नियोक्ता होने के साथ, महामारी की प्रतिक्रिया की अवधि के लिए सेवा संगठनों के लिए पर्याप्त लचीलेपन का निर्माण और भारत के अंतिम आर्थिक सुधार के लिए सर्वोपरि है।

भारत की आईसीटी क्रांति और उत्थान का लाभ उठाना

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में आत्मनिर्भर भारत की स्थिति को मजबूत करना

व्यापार की गतिषीलता के बीच उभरते वैष्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को केन्द्रबिन्दु बनाने और मजबूत करने के लिए, श्रम गहन निर्यात क्षेत्रों के पक्ष में नीतिगत प्रोत्साहन को फिर से संरेखित करना अविलंब आवष्यकता है। इसके अलावा, भारत को जेनेरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात के क्षेत्र में अपनी ताकत का विस्तार करने और सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) में अपनी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की आवष्यकता है। कोविड–19 बीमारी की प्रकृति से दुनिया लड़ रही है, यहां तक कि एक देष की वैक्सीन की कमी को दूर करने में असमर्थता, पूरी दुनिया के लिए भारी नकारात्मक होगी। भारत कोविड–19 वैक्सीन के लिए आसान, सस्ती और न्यायसंगत पहुंच के लिए समर्थन करने में अग्रदूत के रूप में उभर सकता है,जब यह वितरण के लिए उपलब्ध होती है।

वित्तीय समावेशन की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए डिजिटल वित्त का दोहन

जेएएम ट्रिनिटी के हिस्से के रूप में बनाए गए डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे ने महामारी को समय पर और लक्षित राजकोषीय राहत प्रतिक्रिया के लिए सक्षम किया है। आगे बढ़ते हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन डिजिटल भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे की व्यापक रूप से तैनाती, विषेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, कोविड–19 के पष्चात तेजी से डिजिटल होती हुई दुनिया में वित्तीय समावेषन की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

श्रम बाजार के झटके के खिलाफ तैयारियों के लिए स्किलिंग, अपस्किलिंग और री–स्किलिंग

अभूतपूर्व महामारी नौकरी के नुकसान के सामने, नियोक्ता–कर्मचारी संबंध भी संरचनात्मक परिवर्तनों की मांग करता है। नियत नौकरी की भूमिकाओं से दूर, और कार्यबल में भूमिका लचीलेपन का विस्तार करने से व्यवसायों को पोस्ट–मह. ामारी संबंधी चुनौतियों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी। श्रम बल को रोकना, अपस्किल करना और फिर से तैयार करना, इसे बेहतर तैयार करने और बदलते कारोबारी माहौल के अनुकूल बनाने के लिए पूर्व–प्रतिष्ठित है।

कोविड–19 जैसी समाप्त होती घटनाओं के खिलाफ लचीलापन के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का पा. रिस्थितिक तंत्र

कोविड–19 संकट के लिए भारत की बहु–स्तरीय स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, जिसमें सामाजिक गड़बड़ी से लेकर आक्रामक परीक्षण– निरिक्षण –उपचार की रणनीतियाँ हैं, जो भविष्य की बीमारियों की तैयारी के लिए एक आवष्यक आधार प्रदान करेगी । एक निवारक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए अथक प्रयास अधिक रोजगार पैदा करके और श्रम उत्पादकता के नुकसान को कम करके आर्थिक गतिविधि को बहुत आवष्यक प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

भारत में विकास के परिदृश्य की समीक्षा

पिछले 25 वर्षों में भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। 1990 के दषक की शुरुआत से, जब सुधार शुरू हुए, विकास दर उच्च और अधिक स्थिर रही है, अर्थव्यवस्था अधिक आधुनिक और वैष्विक रूप से एकीकृत हो गई है, व्यापक आर्थिक स्थिरता में सुधार हुआ है, और औसत नागरिक बेहतर षिक्षित है और लंबे समय तक रहता है। इसके अलावा, व्यावसायिक वातावरण और संचालन मानकों में सुधार हुआ है, राजनीतिक स्थिरता है, और भू राजनीतिक वातावरण अपेक्षाकृत स्थिर है।

पिछले 50 वर्षों के दौरान, भारत की औसत वृद्धि धीरे–धीरे लेकिन कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी और अधिक स्थिर हो गई है। यह श्रम उत्पादकता और कुल साधन उत्पादकता बढ़ाने में परिलक्षित होता है। तेजी और स्थिरता की ओर दीर्घकालीन प्रवृत्ति, हालांकि, रैखिक नहीं है। ऐसे समय में जब विकास तेजी से बढ़ा है, और ऐसी अवधि जब यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति की तुलना में धीमा हो जाता है। हमने ऐसे दो अन्तरो पर ध्यान दिया। पहला, 2004दृ08 के दौरान विकास की गति तीव्र थी, औसत विकास दर अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 8.8 प्रतिषत प्रति वर्ष पर पहुँच गई। इसे बाह्य और घरेलू कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बाह्य कारकों के बीच, उच्च विकास ने एक वैष्विक आर्थिक उछाल को प्रतिबिंबित किया जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विष्व अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई। 2008दृ09 के वैष्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर, भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। यह निवेष, निर्यात, ऋण, विनिर्माण और निर्माण में मंदी में सबसे उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुआ । इसे अर्थव्यवस्था के व्यापक वृहद आर्थिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें संकट के लिए अत्यधि ाक राजकोषीय प्रतिक्रिया भी शामिल है, जिसके कारण व्यापक आर्थिक स्थिरता धीमी गति से पुनःप्राप्ति हो रही है।

भारत के विकास कार्यक्रम का दायरा

गरीबी उन्मूलन और भूख उन्मूलन

एक विशाल आयाम वाला देष जो 3.20 लाख वर्ग किमी की लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है, अपनी 130 करोड़ की जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने और अपने नागरिकों को खाद्य गुणवत्ता सहित बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने के कार्य कर रहा है। गरीबी उन्मूलन भारत में नियोजन प्रक्रिया के मार्गदर्षक सिद्धांतों में से एक रहा है। जनसंख्या को अधिक रोजगार प्रदान करने में आर्थिक विकास की भूमिका को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। विकास–उन्मुख दृष्टिकोण को विषिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके प्रबलित किया गया है जो लोगों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य, षिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं से संबंधित गरीबी के विभिन्न आयामों को योजना प्रक्रिया में उत्तरोत्तर आंतरिक रूप दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने षिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए काफी आवंटन किया है जो क्षमता–निर्माण और गरीबों के कल्याण की भावना को बढ़ावा देते हैं। भारत ने निरंतर वृद्धि हासिल करने के लिए आर्थिक सुधारों के अपने कार्यक्रम को जारी रखा है। सुध ाारों में राजकोषीय एकत्रीकरण, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, चारों ओर सुषासन, तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास, भ्रष्टाचार पर रोक, आधार अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन अधिनियम, माल और सेवा कर (जीएसटी), विदेषी प्रत्यक्ष निवेष (एफडीआई) के उदारीकरण, खराब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और बहुत कुछ को बंद करना शामिल है। । विकास ने सरकार को गरीबी को सीधे लक्षित करने के लिए सामाजिक खर्चों को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। गरीबी को कम करने के लिए, देष कृषि बुनियादी ढांचे, उत्पादक परिसंपत्तियों और उद्यमषीलता–आधारित आजीविका के अवसरों को विकसित करके सार्थक रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दुनिया का सबसे बड़ा नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है, जिसने पिछले वर्ष के दौरान 2 अरब से अधिक व्यक्ति–रोजगार का उत्सर्जन किया है । इसका उद्देष्य अत्यधिक गरीबी को कम करने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और क्रय शक्ति को बढ़ाना है। इसी प्रकार, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय आजीविका मिषन सीमांत समुदायों को कुषल रोजगार प्रदान करता है। भारत सरकार की 1.3 विभिन्न योजनाओं का उद्देष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को कम करना और देष में भुखमरी को खत्म करना है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्न रूप में सूचीबद्ध हैं:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए)
- दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- हरित क्रान्ति, छाता योजना
- राष्ट्रीय विकास योजना (आरकेवीवाई)
- कृषि उन्नति योजना
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
- राष्ट्रीय पषुधन विकास योजना (ष्वेत क्रान्ति)
- कीमत स्थिरीकरण कोष
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना
- अटल पेंषन योजना (एपीवाई)

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 में पारित
- अंत्योदय अन्न योजना
- खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिषन (संपदा)

स्वास्थ्य कार्यक्रम

हाल के वर्षों में भारत ने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करते हुए 1990 में 556 प्रति 100000 जीवित जन्मों में 77ः से 2016 में 130 से प्रति 100000 जीवित जन्मों में प्रगति की है। शहरी–ग्रामीण विभाजन पारंपरिक रूप से संस्थागत जन्मों में देखा गया है,जो बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में 89ः की तुलना में अब ग्रामीण जन्मों के कुल 75ः का पर्यवेक्षण किया जाता है। ग्प्ट नेषनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 भारत ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेषन प्रोग्राम (यूआईपी) के माध्यम से टीकाकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है जो छह वैक्सीन द्वारा बीमारियों के खिलाफ रोकथाम प्रदान करता है। 2013 में भारत ने दक्षिण पूर्व एषिया क्षेत्र के साथ 2020 तक खसरा उन्मूलन और रूबेला ध जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (सीआरएस) नियंत्रण के लिए प्रतिबद्धता की घोषणा की। देष भर में 4100 लाख बच्चों के लिए एमआर टीका अभियान लक्षित है।'मिषन इंद्र धनुष' का उद्देष्य 2020 तक अभिनव और योजनाबद्ध तरीकों से 90ः से अधिक नवजात षिषुओं को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करना है। इस मिषन के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 528 जिले शामिल किए गए थे। भारत ने टीकाकरण में एक लंबा सफर तय किया है लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी दूरी तय करनी है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, कई गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मलेरिया भारत में सदियों से एक समस्या रही है, एक समय में ग्रामीण बीमारी, जो विभिन्न घटनाओं में विकास के दबाव में बदली थी। दोनों स्थितियों को देखा गया और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में पिछले कुछ वर्षों में कमी आयी है। भारत में मलेरिया मृत्यु दर 2001 में प्रति लाख आबादी में 0.10 से घटकर 2018 में प्रति लाख आबादी से 0.02 मौत रह गयी। 2027 तक मलेरिया मुक्त देष और 2030 तक इसका उन्मूलन करने के लिए, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना (एनएसपी) 2017–22 विकसित की गई है। विभिन्न उन्मूलन रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम का ध्यान राज्य–स्तर के बजाय जिला–स्तर पर रखा गया है। संषोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के तहत कार्यान्वित एक और कार्यक्रम है। इसने 2015 में टीबी की घटनाओं को रोककर और उलट कर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है। यह कार्यक्रम सभी टीबी रोगियों के लिए गुणवत्ता, निदान और देखभाल तक पहुंच सुनिष्चित करने के उद्देष्य से शुरू किया गया था। कई उल्लेखनीय गतिविधियाँ जैसे कि टीबी की अधिसूचनाय केस–आधारित, वेब–आधारित रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम (निक्षय)य भारत में टीबी देखभाल के मानकय कार्यक्रम के प्रदर्षन की निगरानी के लिए समग्र सूचकय दवा प्रतिरोधी टीबी सेवाओं के प्रोग्रामेटिक प्रबंधन आदि को अतीत में अपनाया गया है।

निक्षय, टीबी कार्यक्रम के लिए वेब आधारित रिपोर्टिंग ने देष के दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों से व्यक्तिगत रोगी डेटा को ग्रहण करने और स्थानांतरित करने में सक्षम किया है।

शिक्षा कार्यक्रम

भारत सरकार षिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य 4प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है – श्2030 तक समावेषी और गुणवत्त. ापूर्ण षिक्षा सुनिष्चित करना और सभी के लिए आजीवन षिक्षा को बढ़ावा देनाष। प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ, निरू शुल्क और अनिवार्य षिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधि ानियम, 2009– 2010 में अधिनियमित किया गया था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रवेष, उपस्थिति और प्रारंभिक षिक्षा के पूरा करने के लिए एक उचित कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह निष्पक्षता

और गैर–भेदभाव के सिद्धांतों के आधार पर बच्चों को समान गुणवत्ता की षिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत ने प्राथमिक स्तर पर मात्रात्मक संकेतकों जैसे नामांकन स्तर, पूर्णता दर और अन्य भौतिक अवसंरचना जैसे स्कूल भवनों ६ क्लास रूम, पेयजल सुविधाओं, षिक्षकों की शौचालय सुविधाओं की नियुक्ति आदि में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह दृष्टिकोण सभी के लिए समान गुणवत्ता की षिक्षा सुनिष्चित करना है ताकि राष्ट्र की मानव क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, और इस दृष्टिकोण की मान्यता के रूप में, कई पहल की जा रही हैं।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

2030 के लिए भारत का लक्ष्य सभी महिलाओं को हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण में देष में रहने और विकास के लिए सषक्त बनाना है। भारत में महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य सेवा, षिक्षा, पोषण, रोजगार और संपत्ति के स्वामित्व में असमानता का अनुभव होता है। घर और सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णय न लेने की वजह से महिलाएँ काफी पिछड़ जाती हैं। 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 927 महिलाओं की तुलना में, 2011 में 919 की गिरावट देखने को मिली। 2011 में पुरुषों की तुलना में महिलाएं षिक्षा के मामले में 82 प्रतिषत से पिछड़ रही हैं। बालिकाओं की षिक्षा पर ध्यान देकर, लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, और आजीविका के अवसरों तक पहुंच सुनिष्चित करके लैंगिक असमानता का मुकाबला करने की दिषा में प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए निर्णय लेने के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और पुनर्वसन) अधिनियम, 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, गर्भावस्था की समाप्ति अधिनियम, 1971 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के माध्यम से भारत महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिष्चित करने और महिलाओं के लिए जीवन की गरिमा सुनिष्चित करने के लिए सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्षित राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं और कार्यक्रम, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लक्ष्य 5 को लक्षित करते हैं।

भारत में वित्त पोषण विकास

भारत को भारी विकास अंतराल का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए अंतर को समाप्त करने और राहत और मानवीय विकास के लिए पूंजी निवेष तक पहुंच की आवष्यकता है। महत्वपूर्ण रूप से, वित्तीय साधनों की खोज की भूमिका महत्वपूर्ण है जो इन बाधाओं का अंत करेगा और वित्त प्रवाह करेगा जिसका उपयोग विकास पहलों के लिए किया जा सके । जैसा कि, सतत विकास उद्देष्य भविष्य विकास के लिए महत्वपूर्ण कमी को पूरा करते हैं, उनके वित्तपोषण और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ एकीकरण सार्थक प्रगति प्राप्त करने के लिए आवष्यक होगा।

सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के अनुसार सतत विकास उद्देष्य को पूरा करने के लिए, दुनिया को अरबों से लेकर खरबों डॉलर तक के विकास के वित्तपोषण को बढ़ावा देना चाहिए। निजी वित्त, और विकासषील देषों के स्वयं के संसाधनों को खोलने के लिए सहायता से परे सोचना अनिवार्य है। वित्तीय सहायता जुटाने और आवंटन में देष के साझेदारों और विकासषील देष के सहयोगियों की भूमिका को बदलने की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय न केवल देष–द. र–देष विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके, बल्कि जलवायु परिवर्तन और महामारी के खतरे जैसी साझा समस्याओं को भी दबा सके। इस समय पर जब दुनिया विकास वित्तपोषण को बढ़ाना चाह रही है, विकास वित्तपोषण प्रणाली अधिक जटिल होती जा रही है। नई बहुपक्षीय विकास एजेंसियों और राष्ट्रीय विकास बैंकों के उद्भव संसाधनों को मिश्रण में जोड़ते हैं लेकिन इस सवाल को उठाते हैं कि क्या दुर्लभ वित्तपोषण के लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए मॉडल की आवष्यकता है।

भारत में विकास वित्तीय संस्थानों की जाँच करना

एक कुषल और मजबूत वित्तीय प्रणाली संसाधनों को जुटाकर और उनके उत्पादक उपयोगों को आवंटित करके आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिषाली इंजन के रूप में कार्य करती है। यह एक कुषल भुगतान तंत्र के प्रावधान के माध्यम से अर्थव्यवस्था की लेनदेन लागत को कम करता है, जोखिमों को कम करने और परिपक्वता परिवर्तन के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने में मदद करता है। उद्यमषीलता गतिविधि के लिए धन उपलब्ध कराने और आर्थिक दक्षता और विकास पर इसके प्रभाव के माध्यम से, एक अच्छी तरह से काम कर रहे वित्तीय क्षेत्र भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को कम करने में मदद करते हैं।

एक विकासषील देष में, हालांकि, वित्तीय क्षेत्र आमतौर पर उतने ही अधूरे होते हैं, जितना उनके पास बाजारों और संस्थानों की पूरी श्रृंखला का अभाव होता है जो अर्थव्यवस्था की सभी वित्तपोषण आवष्यकताओं को पूरा करते हैं। उदा. हरण के लिए, आम तौर पर बुनियादी ढांचे और उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त की उपलब्धता, कृषि और छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास के लिए वित्त और लोगों के कुछ वर्गों के लिए वित्तीय उत्पादों की कमी है। विकास वित्त की भूमिका किसी देष के वित्तीय क्षेत्र में संस्थानों और बाजारों में अंतराल की पहचान करना और श्अंतर–भरावष के रूप में कार्य करना है। इसलिए, विकासात्मक वित्त के लिए मुख्य प्रेरणा वित्तीय बाजारों और कुछ प्रकार के आर्थिक एजेंटों को कुछ प्रकार के वित्त प्रदान करने के लिए वित्तीय बाजारों और संस्थानों की विफलता से निपटना है ।

भारत में विकास वित्तीय संस्थान

भारत का पहला विकास वित्त संस्थान औद्योगिक वित्त निगम था, जिसकी स्थापना जुलाई 1948 में भारत के उद्योगों के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए की गई थी। तब राज्य के वित्तीय निगम बनाए गए, जो राज्य स्तर के एसएमई को औद्योगिक ऋण के लिए सहयोग करते थे जो 1952 में लागू हुए। 1955 में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेषन ऑफ इंडिया को निजी क्षेत्र में पहली विकास वित्त संस्था के रूप में बनाया गया था, जिसमें एक लंबी अवधि के विदेषी मुद्रा ऋण के रूप में कृषि पुनर्वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और आवास और शहरी विकास निगम सहित अन्य विषिष्ट वित्तीय संस्थानों की स्थापना के लिए विष्व बैंक और एक समान ऋण से समर्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का समर्थन था। आखिरकार, आईडीबीआई 1964 में बनाई गई, जो एक शीर्ष ऋण संस्था के रूप में अस्तित्व में आई, साथ ही एक भारतीय निवेष संस्थान के रूप में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दोनों भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनियों के रूप में शुरू हुई। भारत में 1948 से 1964 में विकास वित्त संस्थानों की एक प्रणाली का निर्माण विकास बैंकिंग के पहले चरण के रूप में हुआ । एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद, भारत के विकास वित्त संस्थानों की भूमिका का महत्त्व धीरे–धीरे बढ़ता गया, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदाता वित्तपोषण कर रहे थे । 1970 से 1971 में, सभी विकास वित्त संस्थानों द्वारा संवितरण भारत के सकल पूंजी निर्माण का केवल 2.2 प्रतिषत था, लेकिन यह 1990 से 1991 में 10.3 प्रतिषत और 1993 से 1994 में 15.2 प्रतिषत लगातार बढ़ता गया।

इस अवधि में 1964 से 1990 के मध्य तक भारत का विकास बैंकिंग विकास के दूसरे चरण के रूप में जाना जा सकता है। इस चरण में, 1971 में भारतीय औद्योगिक निवेष बैंक की स्थापना, 1982 में नेषनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और भारत में लघु उद्योग विकास बैंक 1990 (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), 2015) के साथ विकास वित्त संस्थानों की संख्या में और विस्तार हुआ । 1991 में भुगतान संकट के संतुलन के बाद, भारत ने देष के वित्तीय क्षेत्र और बाहरी खातों के उदारीकरण की दिषा में कदम उठाया, तीसरे चरण की शुरुआत जिसमें विषेष रूप से 2000 से 2001 के बाद विकास बैंकिंग के महत्व में गिरावट आई। यह उदारीकरण के रूप में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विकास बैंकिंग संस्थानों को वाणि ाज्यिक बैंकों में बदल दिया गया, साथ ही साथ अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जुटाए गए संसाधनों की मात्रा में गिरावट आई। इस उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, 2011 से 2012 तक, विकास वित्त संस्थानों द्वारा वितरित वित्तीय

सहायता सकल पूंजी निर्माण का केवल 3.2 प्रतिषत थी। 1970 के दषक और 1980 के दषक के उत्तरार्ध के बीच संपूर्ण रूप से वित्तीय प्रणाली के अनुपात में, उनके ऋणों का कुल वितरण दो तिहाई से अधिक था। 1990 के दषक और 2000 के दषक की शुरुआत में वित्तीय 22 उदारीकरण के बीच, यह हिस्सा घटकर 30 प्रतिषत रह गयाय 2004 के बाद यह घटकर 1.7 प्रतिशत हो गया।

विकास वित्त संस्थानों से व्यावसायिक बैंकों में रूपांतरण के दो उल्लेखनीय उदाहरण 2002 में औद्योगिक ऋण और निवेष निगम और 2004 में आईडीबीआई रहे। इस प्रक्रिया के प्रतिरूप वित्तीय क्षेत्र में घरेलू और विदेषी निजी फर्मों की बढ़ती भूमिका रही है। उदारीकरण के बाद, उन्हें संसाधन जुटाने, और उधार देने और निवेष करने के संसाधनों में अधिक लचीलापन प्रदान किया गया। इसी समय, बड़े विकास वित्त संस्थानों के परिवर्तन या समापन के साथ, लघु उद्योग विकास बैंक ने भारत के यूनिट ट्रस्ट जैसे निवेष संस्थानों के साथ–साथ बढ़ती भूमिका निभाई है। भारत में विकास वित्त संस्थानों का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि कुल पूंजी निर्माण में उनका योगदान पिछले कुछ वर्षों में कुल निजी क्षेत्र को निर्देषित करने और ऋण का रूप लेने के साथ–साथ कुल ऋण के 70 प्रतिषत और शेयरों और डिबेंचर की प्रत्यक्ष सदस्यता के साथ बढ़ा है। निजी क्षेत्र में शुद्ध पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में कुल संवितरण, 1970 के दषक में 24 प्रतिषत से बढ़कर 1991 के संकट से पहले सीधे 80 प्रतिषत हो गया। दीर्घकालिक औद्योगिक वित्त का यह प्रावधान देष में निवेष के लिए सहयोग का एक प्रमुख स्रोत था, और एक महत्वपूर्ण विधि का गठन किया गया जिसके द्वारा स्वतंत्रता से पहले वित्तीय प्रणाली की सीमाओं को संबोधित किया गया था। जिन क्षेत्रों को विकास वित्त संस्थानों ने वर्षों से लक्षित किया वे व्यापक और उसमे स्वास्थ्य और षिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों के अलावा विनिर्माण, सेवाएँ, कृषि व्यवसाय, निर्माण, ऊर्जा और बुनियादी संरचनाएँ शामिल हैं। (ओईसीडी, 2015)

भारत में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई)

कुछ विकास वित्त संस्थान हैं जो सीधे कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं। यह कानून संस्था के लिए नियम निर्धारित करता है। वर्तमान में नाबार्द, एनएचबी, सिडबी और एक्सिम बैंक केवल चार वैधानिक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत उन्हें नियंत्रित करता है।

शेष को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गैर–बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी) के रूप में शामिल किया गया है। उनकी गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, वे विभिन्न प्रकार की नियामक एजेंसियों के साथ पंजीकृत हैं। आरबीआई, सेबी, एनएचबी, आईआरडीए और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विभिन्न प्रकार के एनबीएफसी के लिए सभी नियामक हैं।

- नेषनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटरू नाबार्द 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया। यह स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा 05 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया। 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित, इसकी श्भुगतान की गई पूंजी 31 मार्च 2020 तक 1,4,080 करोड़ रूपए थी। भारत सरकार के बीच साझा पूंजी की संरचना में संषोधन के परिणामस्वरूप आरबीआई और नाबार्द आज पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

- राष्ट्रीय आवास बैंकरू इसे जनसंख्या के सभी खंडों को पूरा करने और समग्र वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने के लिए एक मजबूत, स्वस्थ, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देष्य विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न आय समूहों को पर्याप्त रूप से सेवा देने के लिए समर्पित आवास वित्त संस्थानों के नेटवर्क को बढ़ावा देना, क्षेत्र के लिए संसाधनों को संवर्धित करना और उन्हें आवास के लिए अधिकृत करना। आवास ऋण को और अधिक किफायती बनाना। अधिनियम के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी शक्ति के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना ।

- लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थ. ापित किया गया, जो समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है।

- एक्जिम बैंकरू एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया देष का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है जो भारत के आर्थिक उदय के साथ विदेषी व्यापार और निवेष को एकीकृत करके मूल्य का निर्माण करना चाहता है। बैंक को वरिष्ठ स्तर के नीति निर्माताओं, विषेषज्ञ बैंकरों, उद्योग में अग्रणी लोगों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ–साथ निर्यात, आयात या वित्तपोषण में पेषेवरों द्वारा बोर्ड स्तर पर विषेषज्ञो द्वारा निर्देषित किया गया है। पूरे भारत में और दुनिया के चुनिंदा स्थानों पर फैले कार्यालयों के साथ, बैंक उद्योगों और एसएमई के व्यवसायों को बढ़ावा देने की महत्वकांषा रखता है।

गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान

गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) विविध वित्तीय मध्यस्थों का एक समूह है, जो भारत जैसे बैंक–प्रभुत्व वाले वित्तीय प्रणाली में, वाणिज्य क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह के वैकल्पिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस कार्य को करने वाले विभिन्न संस्थानों में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), प्राथमिक डीलर (पीडी) और हाल ही में जोड़ी गयी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं। एनबीएफसी सरकारी ६ सार्वजनिक ६ निजी सीमित कंपनियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में ऋण देने में विषेषज्ञ हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे से लेकर उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। पीडी 1995 में अस्तित्व में आया और सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करता है, इसके अलावा यह सुनिष्चित करता है कि जी–सेक की प्रा. थमिक निगम सदस्यता ली जाती रहे । एचएफसी व्यक्तियों, सहकारी समितियों और कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए आवास वित्त का विस्तार करती है और देष में आवास गतिविधि का समर्थन करने के लिए वाणिज्य और आवासीय परिसरों को किराये पर देती है।

- विकासरू वर्ष– प्रति –वर्ष विकास दर के संदर्भ में, एनबीएफसी ने प्रति वर्ष अर्थव्यवस्था में योगदान देने में बैंकिंग क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया । औसतन यह क्षेत्र अपने प्रारंभिक चरणों में प्रति वर्ष 22ः से बढ़ा।

- लाभरू कम लागत के कारण एनबीएफसी बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभदायक रहे हैं। इससे उन्हें ग्राहकों को सस्ता ऋण देने में मदद मिली।

- वित्तीय बाजार को बढ़ानारू एनबीएफसी शहरी और ग्रामीण गरीब कंपनियों को चलाता है और वित्तीय समावेषन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वित्तीय कंपनियां जोखिमों में विविधता लाकर, बाजार में नकदी बढ़ाने के साथ–साथ दक्षता लाती हैं और वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती हैं।

- संरचनात्मक ऋणरू संरचनात्मक परियोजनाओं को ऋण पर देकर एनबीएफसी, अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। यह भारत जैसे विकासषील देष की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काफी बड़ी राषि सम्मिलित होती है, परियोजनाएं जोखिम भरी होती हैं, जिसमें आवक और लंबे समय के बाद होने वाले मुनाफे की कोई निष्चितता नहीं होती है। ये कारक बैंकों को इन परियोजनाओं के वित्तपोषण से रोकते हैं। इसी कारण एनबीएफसी ने अपनी स्थापना के बाद से बैंकों की तुलना में संरचनात्मक ऋण देने में अधिक योगदान दिया है।

- समावेषी विकास को बढ़ावा देनारू भारत के सभी शीर्ष एनबीएफसी ग्राहकों की एक विस्तृत एवं विविध समूह को सेवा प्रदान करते हैं – दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। वे छोटे स्तर की कंपनियों की परियोजनाओं को वित्तपो. षित करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वे किफायती आवास परियोजनाओं के लिए छोटे ऋण भी प्रदान करते हैं। उनके द्वारा दिया गया माइक्रोफाइनेंस (छोटा ऋण) स्थिर वित्तीय समावेषन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनबीएफसी लाइसेंस के साथ संस्था द्वारा ये सभी गतिविधियाँ देष में समावेषी विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।

- रोजगार क्षेत्र में उत्थानरू छोटे उद्योगों और व्यवसायों के संचालन में वृद्धि के साथ, एनबीएफसी की नीतियां नौकरी की स्थिति को बढ़ा रही हैं। निजी और सरकारी क्षेत्रों में एनबीएफसी के प्रभाव से रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं। निजी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियाँ रोजगार के अधिक अवसर और व्यवसाय प्रदान करती हैं। और एनबीएफसी उनकी वृद्धि और स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- संपत्ति संग्रहरू अधिक ब्याज दर के कारण जनता एनबीएफसी में धन जमा करना पसंद करती है, एनबीएफसी संसाधनोंय धन और पूंजियों को जुटाने की अनुमति देते हैं।निवेष के लिए अपने आसान मानदंडों के कारण, ये कंपनियां परस्पर–क्षेत्रीय आय और परिसंपत्ति वितरण के बीच संतुलन बनाती हैं। बचत को निवेष में बदलकर, ये कंपनियां पारंपरिक बैंक प्रथाओं की तुलना में आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। पूंजी का उचित संगठन व्यापार और उद्योग के विकास में मदद करता है, जिससे आर्थिक प्रगति होती है। वे अपने लाभ को अधिकतम करने का उद्देष्य नहीं रखते हैं और इसलिए, शून्य या बहुत कम आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में संलग्न हैं।

- दीर्घावधि के लिए वित्तपोषणरू एनबीएफसी निष्पक्ष भागीदारी के माध्यम से कंपनियों की धन व्यवस्था करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंपरागत बैंकों के मुकाबले, एनबीएफसी व्यापार और वाणिज्य उद्योग को लंबे समय तक ऋण की आपूर्ति करते हैं। वे बड़ी संरचना परियोजनाओं को निधि देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करते हैं। दीर्घकालिक वित्त स्थिर और कम ब्याज दरों के साथ विकास में सहयोग देता है। जब एसएसआई और एमएसएमई के व्यवसाय फलते–फूलते हैं तो अर्थव्यवस्था पनपती है।

- जीवन स्तर को बेहतर बनानारू एनबीएफसी समाज के उत्थान के लिए सरकार के साथ सहयोग करते हैं। एनबीएफसी आम जनता को धन जमा करने के लिए आकर्षित करते हैं और इसे औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास के लिए पूंजी में परिवर्तित करते हैं। व्यवसायों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कार्यबल की मांग में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ती है और मांग बढ़ती है। यह एक समाज के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए काम करता है। इसके अलावा, विदेषी जमा पूंजी इन वित्तीय संस्थानों से आकर्षित होती हैं और आर्थिक प्रक्रिया और विकास का सहयोग करते हैं।

भारत का सार्वजनिक वित्तपोषण और घरेलू संसाधन संग्रहण

घरेलू संसाधन संग्रहण (डीआरएम) – वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से देष अपने लोगों को संसाधन प्रदान करने के लिए स्वयं धन जुटाते हैं और खर्च करते हैं दृयह सतत वित्त विकास का दीर्घकालीन मार्ग है। घरेलू संसाधन संग्रहण न केवल सरकार को गरीबी को कम करने और सार्वजनिक सेवाओं को वितरित करने के लिए आवष्यक धन मुहैया कराता है, बल्कि सहायता के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 1990 के दषक के दौरान भारत के कर राजस्व संग्रह में गिरावट आई, क्योंकि बाजार के उदारीकरण के बाद होने वाले व्यापार करों में गिरावट से उत्पन्न राजस्व घाटे से जूझने के लिए उपभोग करने वाले करों में सुधार हुआ। देष में वैष्विक आर्थिक संकट के समय में मदद करने के लिए शुरू की गई नकली वित्तीय नीतियों के परिणाम स्वरूप कर–दर–जीडीपी अनुपात 2007 में 17.5ः के षिखर से घटकर 2009 में 15.5ः हो गया। 2014 में कर राजस्व धीरे–धीरे उनके पूर्व–संकट के स्तर पर पहुंच गया। सामान्य तौर पर, भारत के कर प्रदर्षन ने एलएमआईसी के लिए व्यापक रुझान के साथ गति बनाए रखी है, जिसमें वित्तीय संकट के दौरान राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में करों को कम करना शामिल है। जबकि भारत ने 2009 में एलआईसी के एलएमआईसी बनने से पहले औसत से बेहतर प्रदर्षन किया था, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति इसकी आय की स्थिति के लिए औसत से नीचे है (हालांकि क्षेत्रीय मानकों के अनुसार यह अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्षन कर रहा है।

कर से जीडीपी अनुपात तक

भारत में पहले चालीस वर्षों के नियोजित विकास के दौरान कर अनुपात अप्रत्यक्ष करों से आया था, जो कि 1950–51 में जीडीपी के 4 प्रतिषत से बढ़कर 1991–92 में 13.5 प्रतिषत था जो तीन गुने से ज्यादा है, जिसमें राज्य कर अनुपात

भी शामिल है जो लगभग 5 प्रतिषत पर स्थिर रहा है। तब से, अप्रत्यक्ष करों से राजस्व जीडीपी लगभग 11 प्रतिषत तक गिर गया है। 1990–91 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों का कर जीडीपी अनुपात लगभग 8 प्रतिषत हुआ करता था, और धीरे–धीरे नब्बे के दषक के मध्य में 6 प्रतिषत और 2008–09 में 5 प्रतिषत से घटकर 2010–11 में 4.5 प्रतिषत हो गया। । विष्व व्यापार संगठन के दिषानिर्देषों और चेलिया समिति की रिपोर्ट में शुल्क में कमी और उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण इस तरह की अचानक गिरावट आई और मूल्यों और शुल्कों में कटौती की सलाह दी गई । इसलिए इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों द्वारा एक प्रमुख प्रोत्साहन दिया गया था, जिससे अनुपात 6 प्रतिषत के करीब सुध ारा। इसी अवधि में राज्य का कर अनुपात 1985–86 से लगभग 5 प्रतिषत बढ़कर 1999–2000 तक और उसके बाद 2007–08 में 5.5 प्रतिषत तक, 2011–12 में 6.14 प्रतिषत और 2013–14 में 7 प्रतिषत हो गया। राज्य वैट विभागों के कम्प्यूटर करण के साथ ही वैट की शुरुआत के कारण ऐसा हुआ।

निजी वित्त

सतत विकास उद्देष्य को पूरा करने में हमारी मदद करने में निजी वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्पना करेंरू कुल वैष्विक वित्तीय परिसंपत्तियों के केवल 1: का स्थानांतरण – 382 खरब अमेरिकन डॉलर अनुमानित– मौजूदा वित्तपोषण अंतर को पूरा कर सकता है। इसके अलावा, गुटों में शामिल होकर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यह सुनिष्चित कर सकते हैं कि मौजूदा निवेष 2030 एजेंडा के साथ बेहतर संरेखित होय और लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुमानित 2.5 खरब अमेरिकन डॉलर वार्षिक निवेष अंतराल को पूरा करने में सहायता करें। इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि सतत विकास लक्ष्यों (सतत विकास उद्देष्य) को प्राप्त करने के लिए आवष्यक निवेष अंतर को पूरा करने के लिए सार्वजनिक संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में विकासषील देषों में 2.5 खरब अमेरिकन डॉलर की वार्षिक कमी है (निजी पूंजी प्रवाह, व्यक्तिगत पूँजी, आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) और निजी अनुदानों की संयुक्त राषि के बावजूद), जो इन देषों में सतत विकास उद्देष्य को प्राप्त करने के का काम कर सकते हैं। सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए, निजी कंपनियों को विकास में भागीदार के रूप में लाना अति आवष्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सतत विकास उद्देष्य को प्राप्त करने के लिए धन की कमी को पूरा करने में मदद करने के साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है, मिश्रित वित्त का उद्देष्य सतत विकास की ओर स्पष्ट प्रभाव लक्ष्य निर्धारित करते हुए सहक्रियाओं को बढ़ाकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

भारत का निजी वित्तपोषण

भारत अपने बुनियादी ढांचे के अंतर को खत्म करने के लिए मुख्य रूप से निजी वित्तपोषण का उपयोग करता है। जबकि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और राजकोषीय विकासषील देषों ने निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक–. निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से अपने भौतिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक विकसित किया है । भारत में बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया में निजी भागीदारी को शानदार प्रतिक्रिया मिली है। पीपीपी को शनिजी तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निष्पादित या वित्तपोषित निवेष परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में स्थानांतरणष (आईएमएफ, 2004) के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य प्राधिकरण के आदेष के भीतर कार्य करने के लिए राज्य प्राधिकरण और निजी भागीदार के बीच की गई कोई भी व्यवस्था और रूपरेखा, निर्माण, संचालन और वित्त के विभिन्न संयोजनों को शामिल करना आयरलैंड के पीपीपी मॉडल के रूप में जाना जाता है।

पीपीपी को कभी–कभी एक संयुक्त उद्यम के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें सरकारी या निजी व्यापार उद्यम को सरकारी और एक या अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियों की साझेदारी के माध्यम से वित्त पोषित और संचालित किया जाता है। आमतौर पर, एक निजी क्षेत्र का संघ एक विषेष कंपनी बनाता है जिसे संपत्ति बनाने और बनाए रखने के लिए एक विषेष उद्देष्य वाहन (एसपीवी) कहा जाता है। संघ आमतौर पर एक ठेकेदार, एक रखरखाव कंपनी और एक ऋणदाता के साथ स्थापित किया जाता है। यह एक विषेष उद्देष्य वाहन है जो सुविधा का निर्माण करने और फिर इसे बनाए रखने के लिए सरकार और उपमहाद्वीपों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है।

तालिका 1: पीपीपी की योजनाएँ और रूपात्मकता	
योजनाएँ	**रूपात्मकता**
बिल्ड–ओन–ऑपरेट (बीओओ) बिल्ड–डेवलप–ऑपरेट (बीडीओ) डिजाइन–निर्माण–प्रबंधन–वित्त (डीसीएमएफ)	निजी क्षेत्र सरकार को स्वामित्व हस्तांतरित किए बिना एक संपत्ति का डिजाइन, निर्माण, विकास, संचालन और प्रबंधन करता है। ये डिजाइन–बिल्ड–फाइनेंस–ऑपरेट (डीबीएफओ) योजनाओं के प्रकार हैं।
बाय–बिल्ड–ऑपरेट(बीबीओ) लीज–डेवलप–ऑपरेट (एलडीओ) लीज–डेवलप–ऑपरेट (एलडीओ)	निजी क्षेत्र सरकार को स्वामित्व हस्तांतरित किए बिना सरकार से मौजूदा परिसंपत्ति खरीदता है या किराये पर देता है, उसका नवीनीकरण करता है, आधुनिकीकरण करता है और ध या उसका विस्तार करता है और फिर वह परिसंपत्ति संचालित करता है।
बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बोट) बिल्ड–ओन–ऑपरेट–ट्रांसफर (बूट) बिल्ड–रेंट–ओन–ट्रांसफर (ब्रोट) बिल्ड–लीज–ऑपरेट–ट्रांसफर (ब्लॉट) बिल्ड–ट्रांसफर–ऑपरेट (बीटीओ)	निजी क्षेत्र एक परिसंपत्ति डिजाइन निर्माण करता है, उसे संचालित करता है, और फिर ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर, या कुछ अन्य पूर्व–निर्दिश्ट समय पर इसे सरकार को हस्तांतरित करता है। निजी भागीदार बाद में सरकार से संपत्ति किराए पर ले सकता है।
स्रोतः आईएमएफ का राजकोषीय मामला विभाग, सार्वजनिक निजी भागीदारी	

निजी वित्तपोषण के लिए पीपीपी के प्रभावी होने के लिए सुझाव

राज्य और नगरपालिका सरकारों द्वारा बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए पीपीपी का उपयोग केंद्रीय निधियों के प्रावधान से पीपीपी के भुगतान करने के लिए सहयोग करता है । पीपीपी के किसी भी अतिरिक्त वित्त पोषण को पीपीपी की राजकोषीय लागत की निरिक्षण क्षमताओं के विकास का पूरक होना चाहिए । पीपीपी कार्यक्रम को एक व्यापक प्रतिनिधित्व पीपीपी इकाई विकसित करने की आवष्यकता है, हालांकि यह इकाई जो भूमिका निभाती है वह कभी–कभी सूचना प्रसार और मार्गदर्षन सामग्री की तैयारी तक सीमित होती है। दो प्रमुख मुद्दों के लिए रचित प्रतिक्रिया – एक व्यापक प्रतिनिधित्व इकाई की भूमिका बनाम मंत्रालयों और उप–राष्ट्रीय पीपीपी की एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में भूमिका – सरकारों और राजकोषीय तथा अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध संचालित करेंगे।

सामाजिक संस्थानों के सुझाव

- भारत को वैष्विक आर्थिक प्रषासन की वर्तमान प्रणाली में एक व्यापक सुधार लाने की आवष्यकता है जो सतत विकास उद्देष्य और विकास लक्ष्यों के विकास के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देने पर जोर देती है।
- भारत सरकार को आर्थिक विकास के लिए नए दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए जो वित्तीय हितों और आर्थिक विकास पर सामाजिक–आर्थिक विकास के अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं।

- अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा पहले से अपनाई गई प्रमुख वैश्विक नीति ढाँचों द्वारा प्रदान किये गए स्पष्ट विकास पथ के आधार पर देष भर में मौजूदा संकट से उबरने के लिए आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना होगा, जिसमें अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ पेरिस जलवायु समझौता और सतत विकास के लिए इसके 17 सतत विकास लक्ष्यों के साथ 2030 एजेंडा शामिल हैं।

- सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति और प्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए आवष्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाने और वितरित करने के लिए एक नए, दीर्घकालिक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तपोषण प्रणाली की स्थापना करना।

- कोविड–19 सार्वजनिक स्वास्थ्य कोश (प्रधानमंत्री केयर) का उपयोग मानवीय उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और राहत तथा सहायता के साथ समाज के कमजोर और हाषिए वाले वर्गों की मदद करनी चाहिए ।

- वित्तीय सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए मजबूत भूमिका सहित वैष्विक आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने में सार्वजनिक वित्त की परिवर्तनकारी भूमिका के लिए निरंतर प्रयास करता है।

- विकास वित्त संस्थानों का दायित्व सुनिष्चित करना चाहिए कि मिश्रित वित्त विकास प्रभावषील सिद्धांतों का पालन करे और मजबूत पारदर्षिता तथा जवाबदेही प्रणालियां लागू करे, जिसमें मिश्रित वित्त के खर्च पर नजर रखी जाये और यह सुनिष्चित किया जाये कि उसका उपयोग श्जनहित' के लिए हो, इसके लिए संघ की नियुक्ति की जाये।

- संयुक्त राष्ट्र के परस्पर सरकारी कर आयोग और टैक्स कन्वेंषन को कर नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, जो टैक्स हेवन, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर दुरुपयोग और अन्य अवैध वित्तीय प्रवाह को संबोधित करते हैं।

- (i) देष की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्तपोषण मानकों का संरेखण जो व्यापक सार्व. जनिक परामर्ष से सहमति व्यक्त करे, और (पप) एकीकृत राष्ट्रीय वित्तपोषण ढांचा।

- पर्याप्त, पूर्वानुमानित, विविध और सतत वित्तीय संसाधनों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्थानों को वित्तपोषण उपलब्ध कराना, और अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास नीति ढांचे का निरिक्षण और कार्यान्वयन में इसकी भू. मिका का सहयोग करना।

- नीतिगत ढाँचों पर अपनी चिंताओं के आदान–प्रदान के लिए सामाजिक संगठन साथ बहु–हितधारक मंच और सार्वजनिक परामर्ष तैयार करना।

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- फाइनेंशिंग सस्टेनेएबल डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी परस्सपैक्टिव ऑन एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (अंग्रेजी)
- स्टडी ऑन कैपासिटी बिल्डिंग एंड नीड ऐसैसमेंट ऑफ वालंटरी ऑग्रेनाइजेशनस (अंग्रेजी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिशा में: एक अध्ययन रिपोर्ट
- इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिपः ए सिविल सोसाइटी परस्पैक्टिब (अंग्रेजी)
- उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग (अंग्रेजी और हिन्दी)
- इन्कम टैक्स एक्ट फार दी वालंटरी सैक्टर – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- मॉडल पॉलिसी रजिस्ट्रेशन – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) :

- स्वेच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है।
- वर्ष 1988 में स्थपति
- यह संस्था स्वेछिक क्षेत्र के प्रोननतिकर्ता / संरक्षक और उसी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

वाणी का आधार

- भारत के 25 राज्यों में फैली 15000 स्वैछिक संस्थाए हैं
- यह स्वैछिक क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र हैं।

लक्ष्य

- एक मंच के रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैछिक करवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक करवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकत्रित करना। इस्सके आलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती हैं।
- एक एसोसिएशन के रूप में य मूल्य आधारित स्वैच्छिक करवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घलकलिक टिकाऊपन को पोषित किदिशा में कार्य करना।

कार्य के क्षेत्र

- स्वेच्छिकक क्षेत्र में सुशासन के तोर तरीकों को बढ़ावा देना।
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना।
- स्वेछिलक क्षेत्र की स्वतनत्र आवाज को रूप प्रदान करना।
- स्वैछिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कणों के सम्बन्ध में शोध और पैरवी करना।

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हॉउस, 7, पी. एस. पी. पॉकेट,
सेक्टर 8, द्वारका, नयी दिल्ली
फोन : 011–40391661, 40391663
ईमेल : info@vaniindia-org । वेबसाइट : www-vaniindia-org